



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-30.07.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट मे पंजीकृत चोरी के सम्पत्ती की चोरी करने के प्रयास में हमला या अपराधिक बल के प्रयोग से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रू० का अर्थदण्ड ।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-0199/2001 धारा 356,411 भा०द०वि० से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश पुत्र लालचन्द्र निवासी- भटपुरवा थाना चोलापुर कमि० वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 30.07.2025 को माननीय न्यायालय J.M-01 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 356,411 भा०द०वि० के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।